

जल जीवन मिशन (फेज-2) कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति बहराइच की अध्यक्षता में दिनांक 31.08.2022 को आयोजित समीक्षा बैठक की कार्यवृत्त

अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन कार्यक्रम (फेज-2) के अन्तर्गत जनपद बहराइच में पेयजल योजना के क्रियान्वयन एवं डी.पी.आर. गठन हेतु नामित मेसर्स पी.एन.सी. इन्फ्राटेक लि०-एस.पी.एम.एल. (जे.वी.) आगरा के कार्यों की समीक्षा की गयी। जिस पर मेसर्स पी.एन.सी. इन्फ्राटेक लि०-एस.पी.एम.एल. (जे.वी.) आगरा के द्वारा कराये जा रहे कार्यों अन्तर्गत उपलब्ध/आवश्यक भूमि के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 31.08.2022 को बैठक आयोजित की गई बैठक में निम्नलिखित द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1. मुख्य विकास अधिकारी, बहराइच।
2. अधिशासी अभियन्ता, उ० प्र० जल निगम(ग्रामीण), बहराइच।
3. श्री राकेश तिवारी, परियोजना प्रबन्धक, पी०एन०सी।
4. श्री जे०पी०यादव, जिला समन्वयक, जिला परियोजना अनुश्रवण इकाई, बहराइच।

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म के द्वारा वर्तमान समय तक 784 ग्राम पंचायतों में से 784 ग्राम पंचायतों में पेयजल योजना के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध करा दिया गया है जिसमें से 545 नग डी.पी.आर. फर्म द्वारा तैयार कर लिया गया है, जिसके सापेक्ष 525 नग डी.पी.आर. राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को डी.डब्लू.एस.एम. द्वारा प्रेषित किया जा चुका है। जिसमें से मात्र 381 नग परियोजनाएं एस.एल.एस.एस.सी. से स्वीकृत हो गयी हैं जिसमें 511 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं। जिसके सापेक्ष प्रथम त्रिपक्षीय अनुबन्ध का गठन दिनांक 11.10.2021 को किया गया जिसमें 22 नग परियोजनाएं, द्वितीय त्रिपक्षीय अनुबन्ध का गठन दिनांक 29.11.2021 को किया गया जिसमें 114 नग परियोजनाएं, तृतीय त्रिपक्षीय अनुबन्ध का गठन दिनांक 17.01.2022 को किया गया जिसमें 122 नग परियोजनाएं, चतुर्थ त्रिपक्षीय अनुबन्ध का गठन दिनांक 09.05.2022 को किया गया जिसमें 03 नग परियोजनाएं तथा पंचम त्रिपक्षीय अनुबन्ध का गठन दिनांक 29.08.2022 को किया गया जिसमें 30 नग परियोजनाएं सम्मिलित हैं। इस प्रकार कुल 291 नग परियोजनाओं का त्रिपक्षीय अनुबन्ध का गठन किया जा चुका है। जिसमें से फर्म द्वारा 261 नग परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। अवशेष 28 नग पेयजल योजनाओं के त्रिपक्षीय अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।



भूमि की उपलब्धता:-

जनपद- बहराइच में कुल 784 ग्राम पंचायतों में जलकल स्थल हेतु भूमि के सापेक्ष 784 जलकल स्थल हेतु भूमि प्राप्त की जा चुकी है।

डी०पी०आर० विरचन का कार्य :-

जनपद- बहराइच में कुल 545 नग डी०पी०आर० का विरचन किया जा चुका है जिसमें 592 नग ग्राम पंचायत के 758 नग राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं, अवशेष डी०पी०आर० के विरचन हेतु फर्म को निर्देशित किया गया।

नलकूप बोरिंग का कार्य :-

जनपद-बहराइच में 261 नग परियोजनाओं में लक्षित 261 नग नलकूपों के सापेक्ष 255 नग नलकूपों का छिद्रण का कार्य पूर्ण कर 229 नग नलकूपों पर कम्प्रेसर एवं ओ.पी. यूनिट का कार्य कराया गया है।

वितरण प्रणाली का कार्य :-

जनपद-बहराइच में 261 नग परियोजनाओं में 3393 किमी. वितरण प्रणाली के सापेक्ष 121 ग्राम पंचायतों में कार्य प्रारम्भ किया गया जिसमें मात्र 1369 कि.मी. वितरण प्रणाली बिछाये जानें का कार्य किया गया है।

(Handwritten signature)

4. जल निगम के सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर/एस.डब्ल्यू.एस.एम. के सहायक अभियन्ता तथा टी.पी.आई./टी.पी.एम.यू. के अभियन्ता पेयजल योजना के निरीक्षण की आख्या/पाई गयी कमियां एवं कमियों का निराकरण सुनिश्चित कराते हुए अधिशासी अभियन्ता जल निगम के माध्यम से जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के समक्ष प्रस्तुत करे।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/टी.पी.आई./डी.पी.एम.यू.)

5. प्रत्येक माह के 15 और 30 तारिख को कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की जायेगी।

(कार्यवाही अधि०अभि० जल निगम)

6. बोरिंग हेतु रिंग मशीन की उपलब्धता का साक्ष्य जियोटैग फोटो के माध्यम से जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपलब्ध कराया जाए।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/मेसर्स पी०एन०सी०-एस०पी०एम०एल० जे.वी.)

7. वितरण प्रणाली बिछाये जानें हेतु काटे गये रोड का एवं पुर्न निर्माण किये गये रोड का फोटो जियोटैग के माध्यम से जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपलब्ध कराया जाए।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/मेसर्स पी०एन०सी०-एस०पी०एम०एल० जे.वी.)

8. वितरण प्रणाली हेतु लायी गयी सामग्री के भण्डारण हेतु भण्डारण किन-किन स्थानों पर बनाया गया है तथा सामग्री का भण्डारण ठीक प्रकार से किया जा रहा है कि नहीं का फोटो जियोटैग के माध्यम से जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपलब्ध कराया जाए।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/मेसर्स पी०एन०सी०-एस०पी०एम०एल० जे.वी.)

9. टी.पी.आई. द्वारा किये जा रहे निरीक्षण में पायी जा रही कमियों को ठीक प्रकार से दर्शाया नहीं जाता है। निरीक्षण के उपरान्त पाई गयी कमियों को योजनावार अवगत करायें।

(कार्यवाही अधि० अभि०, जल निगम/ टी.पी.आई./डी.पी.एम.यू.)

उक्त के अतिरिक्त बैठक समाप्त करते हुए फर्म को निर्देशित किया गया कि, जिन स्थानों पर कार्य प्रारम्भ है, यदि उन स्थानों पर कार्य कराने हेतु किसी विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, तो सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य कराये अन्यथा की स्थिति में यदि सम्बन्धित विभाग द्वारा फर्म के विरुद्ध कोई कार्यवाही होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म मेसर्स पी.एन.सी-एस.पी.एम.एल. जे. वी. की होगी।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बहराइच।

पृ०सं० ०१ / जल जीवन मिशन/2022/कार्य-17/- दिनांक ०५/०९/2022
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त महोदय, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
2. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ० प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, प्रथम तल मल्टीपरपस हॉल, किसान बाजार विभूती खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-226010।
4. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ० प्र० जल निगम, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता(गो०क्ष०), उ० प्र० जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
7. मुख्य विकास अधिकारी, बहराइच।
8. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ० प्र० जल निगम(ग्रामीण), गोण्डा।
9. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ० प्र० जल निगम(ग्रामीण), बहराइच।
10. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय(वि०/यौ०), उ० प्र० जल निगम(ग्रामीण), गोण्डा।
11. डी.पी.एम.यू./टी.पी.आई. बहराइच।
12. मेसर्स पी०एन०सी०-एस०पी०एम०एल० जे०वी०, पी०एन०सी० टावर 3/22-डी० सिविल लाइन्स, बाईपास रोड आगरा, को उक्त के सम्बन्ध में अनुपालनार्थ।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बहराइच।